


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2504/.....

जबलपुर, दिनांक 21 / 03 / 2025

श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को अनुपस्थित दिनाकों का कोई भी अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 01.08.2024 से 17.09.2024 तक 48 दिन का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है।



(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2505/.....

जबलपुर, दिनांक 21 / 03 / 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री अर्जुन सोनी, कोर्ट अटेंडेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)